झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

:: संकल्प ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, राँची का पत्रांक– 110(i)/स्था., दिनांक 16.05.2008
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का संकल्प सं0– 6415 दिनांक 14.10.2011 एवं 8262 दिनांक 22.12.2011
3. अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखंड, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, एच0ई0सी0, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची का पत्रांक– 260 दिनांक 31.07.2012

श्री मिथिलेश प्रसाद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक– 177/03, गृह जिला– नालन्दा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कर्रा (राँची) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक– 110(i)/स्था., दिनांक 16.05.2008 द्वारा प्रपत्र–'क' में आरोप प्रतिवेदित है। श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप है कि –

(1) इनके द्वारा वर्ष 1987–88 की विकास योजनाओं में 2'' डायमेटर के एन.पी.–2 के 200 ह्यूम पाइप का क्रय कुल– 1,04,488.00 रूपये की लागत पर बिहार पाईप्स इंडस्ट्रीयल एरिया, कोकर से किया गया। प्रखण्ड नजारत के सामान्य रोकड़ की राशि से उक्त प्रतिष्ठान को अग्रिम के रूप में 1,04,488.00 रूपये का भुगतान किया गया। इनके द्वारा ह्यूम पाइप का क्रय बिना उप विकास आयुक्त की अनुमति के किया गया। इसमें तकनीकी जाँच भी नहीं किया गया। क्रय किये गये ह्यूम पाइप में से अधिकांश क्षतिग्रस्त पाया गया। इस प्रकार उक्त सरकारी राशि का दुरूपयोग श्री प्रसाद द्वारा किया गया है।

(2) श्री प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभागीय निदेश की अवहेलना कर स्थानीय मुखिया एवं अन्य व्यक्तियों को योजना अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया है और अग्रिम भुगतान किया गया है।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक– 3648 दिनांक 17.06.2008 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गई। तत्पश्चात् श्री प्रसाद को स्मारित भी किया गया। परन्तु श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

फलतः विभागीय संकल्प सं0– 6415 दिनांक 14.10.2011 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया एवं श्री अजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर, पलामू को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन हेतु श्री अजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को विभागीय संकल्प सं0– 8262 दिनांक 22.12.2011 के द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

कृ0पृ0उ0..2,

श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखंड, राँची द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 260 दिनांक 31.07.2012 द्वारा समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में उक्त कंडिका– 1 के आरोप श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये है, जबकि कंडिका– 2 के आरोप के लिए श्री प्रसाद को संदेह का लाभ दिया गया है।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के क्रम में समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए **"इनके पेंशन से पाँच प्रतिशत राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का दण्ड"** इनपर अधिरोपित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मिथिलेश प्रसाद, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 2/आरोप– 066/2004 का॰–10219/ राँची, दिनांक –4 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 50 (पचास) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 2/आरोप– 066/2004 का॰–10219/ राँची, दिनांक –4 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/ प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची/उपायुक्त, रांची/श्री मिथिलेश प्रसाद, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, पता :– द्वारा– प्रेम प्रकाश, मो0– ऐदलहातू (नियर जोगो पहाड़), पो0– राँची विश्वविद्यालय, जिला– राँची/विभागीय प्रशाखा– 2 तथा 2ए (चारित्री) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 2/आरोप– 066/2004 का॰–10219/ राँची, दिनांक –4 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव ।